संख्या-1964 / 78-2-2005-5आई0टी0 / 2005 टीसी

जिलाधिकारी
सुलतानपुर

प्रेषक,

नीरा यादव
मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

1— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0
3— समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0
4— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई 2005

विषय:— राज्य ई-गवर्नेंस योजना की तैयारी

महोदय,

प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का सुनियोजित एवं विस्तृत उपयोग सुनिश्चित करते हुए स्वच्छ एवं संवेदनशील ई-प्रशासन लागू करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में "ई-प्रशासन परामर्शदात्री समिति" एवं मुख्य सचिव स्तर पर "ई-प्रशासन एपेक्स समिति" गठित कर दी गई है। इन समितियों की निकट भविष्य में बैठकें आयोजित कर प्रशासन में ई-गवर्नेंस लागू किए जाने के प्रयासों की समीक्षा की जाएगी तथा नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे।

ई-प्रशासन लागू करने हेतु प्रत्येक विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने विभाग का ई-गवर्नेंस प्लान तैयार करें तथा सभी विभागों के प्लान को सम्मिलित करते हुए राज्य स्तर पर ई-गवर्नेंस योजना तैयार की जाए जिसका समयबद्ध रूप से चरणों में क्रियान्वयन एवं उच्चस्तरीय अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। प्रथम चरण में सचिवालय प्रशासन, राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कर एवं निबन्धन, परिवहन, नगर विकास, आवास एवं श्रम विभाग में ऐसी योजनाएं लागू करने पर बल दिया जाएगा। इन विभागों में कार्य पद्धति में इस प्रकार सुधार किया जाए कि आम आदमी को सम्बन्धित विभाग से सरलतापूर्वक विभिन्न जानकारी प्राप्त हो सके, परिवाद का त्वरित निस्तारण हो सके, विभिन्न शासकीय देयकों का आनलाइन भुगतान हो सके तथा पंजीकरण, लाइसेन्स, विभिन्न अभिलेख स्वीकृतियाँ एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि सुविधापूर्वक प्राप्त हो सके। शासन के शेष विभागों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने विभागों में ई-प्रशासन शीघ्र लागू करें तथा विभागीय ई-गवर्नेन्स प्लान तैयार करें।

कई विभागों द्वारा प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग पूर्व में ही प्रारम्भ कर दिया गया है तथा जिला स्तर पर भी "लोकवाणी" जैसे अनूठे एवं जनोपयोगी सफल प्रयोग किए गए हैं, इन सभी प्रयासों को एकीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश में ई-प्रशासन हेतु तैयारी का प्रचार करते हुए प्रदेश की इस क्षेत्र में उत्तम छवि प्रचारित करने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विभाग में लागू ई-प्रशासन के सफल माडल पर संक्षिप्त टिप्पणी सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराएं। ई-गवर्नेंस हेतु प्रत्येक विभाग अपनी भावी रणनीति भी तय कर लें तथा विभागवार ई-प्रशासन योजनाएं तैयार कर वित्त पोषण की व्यवस्था हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को प्रेषित करें। इस हेतु विभागों द्वारा निम्नानुसार तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए :—

1— <u>विभागीय मिशन टीम का गठन:—</u>

विभागीय ई-गवर्नेन्स मिशन टीम विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की जाए। इसमें ऐसे अधिकारी / सेवानिवृत्त अधिकारी सम्मिलित किए जाएं जो विभाग की कार्य प्रणाली एवं नियमों का दीर्घ अनुभव रखते हों तथा प्रक्रियाओंके सरलीकरण (बिजनेस प्रोसेज री-इंजीनियरिंग) हेतु परामर्श दे सकें। प्रबन्धन एवं तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञ जो मिशन टीम में सम्मिलित होने के लिए सहमत हों, को भी सम्मिलित किया जाए। कम्प्यूटर के उपयोग से पूर्ण-रूप से भिज्ञ [illegible] ई-प्रशासन लागू करने हेतु

NIC
370

उत्साह एवं रूचि रखने वाले अधिकारियों को भी चिन्हित करते हुए विभागीय मिशन टीम में सम्मिलित किया जाए। विभाग से सम्बन्धित विभिन्न कन्सल्टेंट एवं सूचना प्रौद्योगिकी के तकनीकी अधिकारियों को भी सम्मिलित कर लिया जाए । समिति का उपाध्यक्ष भी नामित किया जाए जो विभागाध्यक्ष की अनुपस्थिति मे मिशन टीम की बैठकें ले सकें ।

2– **<u>यथास्थिति का सर्वे :–</u>**

समस्त विभागीय प्रमुख सचिव/ सचिव तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर विभाग में कम्प्यूटरीकरण की स्थिति की समीक्षा कर ली जाए तथा विभाग की हार्डवेयर एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में आवश्यकताओं को चिन्हित कर लिया जाए। साथ में डिपार्टमेंटल मिशन टीम द्वारा ऐसी कार्य प्रणालियों (बिजनेस प्रोसेस) चिन्हित कर ली जाएं जिनका जनता से सीधा सम्पर्क (पब्लिक इन्टरफेस) अधिक हो तथा कम्प्यूटरीकरण के सहयोग से सरलीकृत कार्य प्रणाली लागू करना सम्भव हो ।

3– **<u>ई–गवर्नेन्स प्लान की तैयारी</u>**

डिपार्टमेंटल मिशन टीम द्वारा विभाग के उक्तानुसार चयनित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित प्रदेश/ देश में सबसे उत्तम ई–प्रशासन योजना माडल को चिन्हित करेंगे जिसका सफल कियान्वयन चल रहा हो और उसे शीघ्रातिशीघ्र अपने विभाग में लागू करने हेतु कार्य योजना बनायेंगें । डिपार्टमेंटल मिशन टीम को यह भी स्वतन्त्रता होगी कि वे स्वयं नये इनोवेटिव प्रोजेक्ट तैयार करें और वित्त पोषण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को प्रेषित करें। प्रथम चरण में केवल योजना की सैद्धान्तिक सहमति दी जाएगी एवं इसे लागू करने हेतु आवश्यक "कैपासिटी बिल्डिंग" हेतु धनराशि की स्वीकृति दी जाएगी । "कैपासिटी बिल्डिंग" के अन्तर्गत उपयुक्त मानव संसाधन की आउटसोर्सिंग एवं विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं विभागीय मिशन टीम के प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध होगी । कैपिटल मद में किसी प्रकार का व्यय जैसे निर्माण अथवा रेनोवेशन अनुमन्य नहीं होगा ।

4– **<u>नोडल अधिकारी</u>**

प्रत्येक विभाग द्वारा ई–प्रशासन हेतु नोडल अधिकारी चिन्हित किया जाएगा जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से समन्वय सुनिश्चित करेगा और विभागीय योजना की अध्यावधिक स्थिति की जानकारी रखेगा । चयनित अधिकारी अपनेमूल पद के साथ विभाग का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी कहलाएगा ।

5– **<u>जिला मिशन टीम का गठन</u>**

जिला स्तर पर जिलाधिकारी जिला मिशन टीम का विभागीय मिशन टीम के अनुसार गठन करेंगे तथा इस टीम के माध्यम से जिला ई–प्रशासन योजना तैयार करेगें । प्रत्येक जिले में ई–प्रशासन हेतु एक नोडल अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा जो अपने मूल पदनाम के साथ जिला सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी कहलाएगा । यह अधिकारी उन विभागों से समन्वय बनाए रखेगा जिनकी ई–प्रशासन योजनाएं जिला स्तर पर प्रस्तावित है तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को नियमित रूप से सूचनाएं प्रेषित करेगा ।

6– **<u>जिला एवं विभागीय वेबसाइट का उन्नयन एवं अध्यावधिक किया जाना:–</u>**

इस हेतु जिला स्तर पर जिला सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी एवं विभाग स्तर पर मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी उत्तरदायी होगें। इस हेतु उपयुक्त कन्सल्टेंट का पैनल सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा ये कन्सल्टेंट विभाग की मांग/ आवश्यकता का आंकलन करते हुए उन्हें इस कार्य हेतु उपलब्ध कराए जायेगें।

कृपया उक्तानुसार प्रत्येक विभागाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी त्वरित गति से ई–प्रशासन लागू करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कर लें । निकट भविष्य में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर इस सम्बन्ध में विभागों से पृच्छाओं का समाधान किया जाएगा तथा योजना के लिए धनराशि की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाएगी ।

भवदीया,

(नीरा यादव)
मुख्य सचिव।